राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांकः प.8(1)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 4-10-23

आदेशः

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.23 द्वारा अपर जिला न्यायालय, जायल जिला नागौर/ सं02 रायसिंहनगर जिला अनुपगढ/ फागी जिला दूदू/सं02 खेतड़ी जिला नीमकाथाना को नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985(सन् 1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं061) की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है एवं इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.23 द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985(सन् 1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं061) की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जायल जिला नागौर/ सं02 रायसिंहनगर जिला अनुपगढ/ फागी जिला दूदू/सं02 खेतड़ी जिला नीमकाथाना को उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां एतत्द्वारा प्रदत्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता/श्रीगंगानगर/जयपुर जिला/झुन्झुनू।
5 जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, नागौर/ अनुपगढ/ दूदू/ नीमकाथाना ।
6 निदेशक अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, वित (व्यय-5) विभाग।
8 संबंधित कार्यालय।
9 सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
10 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
11 रक्षित पत्रावली।

04/10/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि